न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

दावा वाद संख्या – 13/18

1. जगदीश पुत्र कल्याण 2. धोलू पुत्र कल्याण 3. मोत्या पुत्री कल्याण 4. गड़ूली पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी मझेवला तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.... वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर
2. प्रबंधक बैंक आफ बडोदा शाखा मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.... प्रतिवादी

दावा उद्धोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राधवेश शर्मा एडवोकेट वादीगण की और से

दिनांक....4.....3.22

आदेश

वादीगण की और से यह दावा इस आशय का दायर किया कि ग्राम मझेवला के नये खाता संख्या 52 में अंकित आ.ख.नं. 1078 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नं. 1079 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 54 की आ.ख.नं. 1080 रकबा 0.41 है. ख.नं. 1081 रकबा 0.29 है. ख.नं.1082 रकबा 0.25 है. 1109 रकबा 0.38 है. 1110 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1111 रकबा 0.35 है. 1115 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर वाके हैं। उक्त आराजीयात मे से मद नं. 10 के अनुसार सेटिलमेंट के दौरान वादीगण के कब्जे शुदा भूमि हाल खसरा नं. 1075 रकबा 0.55 है, 1076 रकबा 0.40 है. 1077 रकबा 0.23 है. को सिवायचक दर्ज कर जिम्मन नं. 1 सरकारी खाता में दर्ज कर दिया हैं जबकि उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा हैं तथा ख.नं.1078, 1080, 1081 , 1082 वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया , जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं हैं । उक्त सिवायचक आराजीयात एवं वादीगण की खातेदारी की आराजीयात साविक ख.नं. 363 से बनाये गये हैं। अतः उक्तानुसार धोषणा करते हुऐ इन्द्राजात दुरूस्त किये जावें।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 26.11.19 से एकतरफा कार्यवाहीं वावत आदेश प्रतिपादित किये गयें।

वादीगण की और से साक्ष्य पी.डब्लू 1 जगदीश ली गई एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 नजरी नक्शा , प्रदर्श–2 जमावंदी खाता संख्या 52, प्रदर्श–3 जमावंदी खाता सं0 54 , प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–6 जमावंदी संवत 2053–56 , प्रदर्श–7 खसरा परिवर्तन शील, प्रदर्श–8 खाता सं.1 प्रदर्शित करवाया। तथा उक्त प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर अपने वाद की ताईद में शपथ पत्र सहीं होना तसलीम व तसदीक किया ।

बहस वादीगण सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खाता संख्या 52 में अंकित आ.ख.नं. 1078 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नं. 1079 रकवा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 54 की आ.ख.नं. 1080 रकवा 0.41 है. ख.नं. 1081 रकबा 0.29 है. ख.नं.1082 रकवा 0.25 है. 1109 रकवा 0.38 है. 1110 रकवा 0.22 हैक्टेयर, 1111 रकबा 0.35 है. 1115 रकवा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2. 15 हैक्टेयर वाके हैं। उक्त आराजीयात में केवल मात्र आराजी खसरा नं. ख.नं.1079 रकवा 0.25 है., 1080 रकवा 0.41 है, 1081 रकवा 0.29 है , 1082 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 है. का हीं विवाद हैं । जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं हैं इसके बावजूद सेटिलमेंन्ट के दौरान विना कब्जे व विना मौके की जांच किये हीं वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो प्रदर्श–प्रदर्श–2 व 3 हैं । उक्त आराजीयात के साविक खसरा नं. 363 से बने हैं जो प्रदर्श–पी. 6 हैं । जवकि वादीगण का साविक खसरा नं. 363 से ही बने हाल खसरा नं. 1075 रकबा 0.55 , 1076 रकवा 0.40 है. एवं 1077 रकवा 0.23 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा हैं जो वर्तमान में जिम्मन नं.1 सरकारी खाता में सिवायचक दर्ज हैं। तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से भी वादीगण के वाद की ताईद होती हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, प्रलेखीय दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रदर्श–2 एवं 3 से आराजी ख.नं.1079 रकवा 0.25 है., 1080 रकबा 0.41 है, 1081 रकवा 0.29 है , 1082 रकवा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1. 18 है. वादीगण की खातेदारी में हैं उक्त आराजीयात के साविक खसरा नं. 363 मिन होना प्रदर्श–6 से सिध्द हैं । जिस पर वादीगण का कब्जा व काश्त नहीं रहा हैं। दूसरी और साविक खसरा नं. 363 से ही वने हाल खसरा नं. 1075 रकवा 0.55 , 1076 रकबा 0.40 है. एवं 1077 रकवा 0.23 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा हैं पर वादीगण

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

का कब्जा हैं । प्रदर्श 5 से यह सिध्द हैं कि उक्त आराजीयात के साविक खसरा नं.363 हीं हैं । न्यायालय की और से तहसीलदार बौली से मौके की रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट के ाद नं. 4 के अवलोकन से यह पाया गया कि वादीगण के पूर्वजो के समय से हीं हाल खसरा नं. 1075,1076,1077 पर कब्जा बदस्तूर हैं जो वर्तमान में सिवायचक भूमि दर्ज हैं तथा ादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1078,1079,1080,1081,1082 पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं अपितु अन्य का कब्जा हैं। उक्त तथ्य मौका रिपोर्ट प्रदर्श–पी.9 10 से सिध्द हैं। मौका रिपोर्ट में सेटिलमेंट के दौरान गलत तरमीम होना , तथा जहां वादीगण का कब्जा काश्त हैं वह सिवायचक दर्ज होना, एवं जहां कभी कब्जा नहीं रहा हैं वहां की आराजी खातेदारी में गलत दर्ज होना तसदीक किया हैं।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादीगण का वाद मुताबिक मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से सिध्द पाया गया हैं। वादीगण उक्तानुसार दुरूस्त करवाने के मुस्तेहक हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं :–

1. ग्राम मझेवला की आराजी खसरा नं. 1075 रकबा 0.55 बा.2, ख.नं.1076 रकबा 0.40 है. बा.2, एवं खसरा नं. 1077 रकबा 0.23 चाहीं 3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 है. को जिम्मन नं.1 सरकारी से हटाई जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावें, तथा इसकी ऐवज में ख.नं.1079 रकबा 0.25 है., ख.नं. 1080 रकबा 0.41 हैं. ख.नं.1081 रकबा 0.29 है. , ख.नं.1082 रकबा 0.25 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है. वादीगण के खातेदारी से हटाई जाकर जिम्मन नं. 1 सरकारी में दर्ज की जावें, साथ हीं उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण की सूरत में नियमानुसार अतिक्रमी के विरूध्द सख्त कार्यवाहीं की जावें। एवं बैक रहन का नोट यथावत रहेगा।
2. खर्चा फरीकेन अपना.अपना वहन करेगें।
3. तदानुसार डिक्री जारी हों।

(बद्री नारायण मीना)
उपजिला कलेक्टर
बौली जिला स.मा.
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

आज दिनांक 4.3.2022 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर